


रामकिशोर यादव विरुद्ध जगदीश यादव आदि

XXXIX(a)BR(H)-11


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग02117-दो/14

जिला - सीधी

स्थान तथा दिनांक	जयवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.7.14	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक की आपत्ति को निरस्त किया जाकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया है । आवेदक का यह कहना है कि उसका प्रश्नाधीन भूमि में हिस्सा वव कब्जा है किंतु इस संबंध में उसके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज आदि पेश नहीं किये गये हैं जिससे उसका कोई हित प्रश्नाधीन भूमि में दिखाई दे । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	<p> (एम.के. सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर</p>

266
21.5.14



Rs. 20/-

राम विश्वोदर यादव तनय जगदीश प्रसाद यादव निवासी ग्राम वृवाडी तहसील
मझौली जिला सीधी 509000 आदेश

वना

1. जगदीश यादव तनय राजगरीब यादव निवासी ग्राम वृवाडी तहसील
जिला सीधी 509000

- | | |
|-------------|--|
| 2. रामकृमाल | पितरान जगदीश प्रसाद |
| 3. रामनरेश | सी निवासी ग्राम वृवाडी तहसील मझौली जिला सीधी |
| 4. रामलाल | 509000 |
| 5. हीरालाल | |
- आवेदकगण

श्री. अ. न. ताल... के...
द्वारा आवेदन...
प्रस्तुत किया गया
श्रीडर
सर्किट कोर्ट सी

निगरानी बिस्व आशा श्री तहसीलदार मझौली
बाबत प्रकरण क्रमांक 129/27/2012-2014 आदेश
दिनांक 8/4/2014

निगरानी अधिनियम धारा 50 5090 भुनाजदेव
संदिता 1959 ई

मान्यवर,

आवेदन सत्र के आधार निम्न है -

1. यह कि अधीन न्यायालय की आज विधि एवं प्रक्रिया के विपरित है।

Sul
21.5.14

-प्र